



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272699  
CG-DL-E-19052026-272699

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2461]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948

No. 2461]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

**का.आ. 2553(अ).**—जबकि भारत सरकार की रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5516(ई) दिनांक 01 दिसंबर 2025 द्वारा, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 01 दिसंबर 2025 भाग द्वितीय, खंड 3, उप-खंड (11) में प्रकाशित हुई (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है), रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में स्थित "नंगल डैम – तलवाड़ा – मुकरियों नई बड़ी गेज रेल लाईन परियोजना के दौलतपुर चौक – करटोली पंजाब – तलवाड़ा अनुभाग और पटियाल – भंगाला अनुभाग" नामक "विशेष रेल परियोजना" के निष्पादन हेतु अधिग्रहित करने का आशय घोषित किया है।

और चूंकि उक्त अधिसूचना का सार क्रमशः "द ट्रिब्यून" (अंग्रेजी) दिनांक 17-12-2025 और "अजीत पंजाब" (पंजाबी) दिनांक 17-12-2025 में उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है।

और चूंकि धारा 20डी के अंतर्गत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया है।

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के बाद, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भागों से मुक्त होकर पूर्णतः केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

### भूमि अनुसूची

होशियारपुर जिले में स्थित विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् "मुकेरियां से तलवारा कॉर्ड लाइन पटियाल से भंगाला मुकेरियन तक नई बी.जी. लाइन" के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि (संगठन सहित या बिना निर्माण सहित) का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: होशियारपुर

तहसील का नाम: मुकेरियां

क्रमांक	ग्राम का नाम और एचबी	खेवट कमांक	खेत कमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल			हेक्टेयर में	भूमि स्वामी/हित धारक का नाम
						कनाल	मरला	सरसाई		
1	पोटे/284	43	620/2	निजी	नेहरी	0	1	0	0.00253	गगनदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज, 1/2 शेयर, नवदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज, 1/2 शेयर
		43	621/2 मिन	निजी	नेहरी	0	3	0	0.00759	
		43	721/2 मिन	निजी	नेहरी	0	17	0	0.04299	
		49	722/2 मिन	निजी	नेहरी	0	14	0	0.03541	नवरीत कौर पुत्री मस्त राम पुत्र हंस राज 1/6 हिस्सा, गगनदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज 5935/14238 शेयर, नवदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज 2965/7119 शेयर,
		50	720/2 मिन	निजी	नेहरी	0	4	0	0.01012	नवरीत कौर पुत्री मस्त राम पुत्र हंस राज 1/6 हिस्सा, गगनदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज 110/791 शेयर, नवदीप सिंह पुत्र संत राम पुत्र हंस राज 1975/14238 शेयर, इमान सिंह पुत्र नवदीप सिंह पुत्र संत राम 5/18 शेयर, वारिस सिंह पुत्र गगनदीप सिंह पुत्र संत राम 5/18 शेयर,
				कुल योग		1	19	0	0.09864	

[फ़ा. सं. 190-W/Misc/Land/NDLM-TLR (Hoshiarpur)]

शैलेश कुमार मिश्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Northern Railway (Construction Organization)]**

New Delhi, the 18th May, 2026

**S.O. 2553(E).**— Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways No. S.O. 5516(E) dated 01 December 2025, published in the Gazette of India, (Extraordinary) dated 01 December 2025 Part II, section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section(1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared the intention to acquire the land specified in the Schedule annexed in the said notification for execution of “Special Railway Project” namely “**Daulatpur Chowk - Kartoli Punjab - Talwara Section and Patial Bhangala section of Nangal Dam - Talwara - Mukerian New Broad Gauge Rail Line Project**” in the District of Hoshiarpur of Punjab state,

And whereas, the substance of the said notification has been published in “The Tribune” (English) dated 17-12-2025 and in “Ajit Punjab” (Punjabi) dated 17-12-2025 respectively, Under Sub Section (4) of Section 20A of the said act.

And whereas no Objection has been received under section 20D and the same have been disposed of by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20(E) of the said act, the competent authority has submitted his report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of the section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose:

And further, in pursuance of the sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**LAND SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within District Hoshiarpur for the Special Railway Project, namely, “New B.G Line from Mukerian to Talwara Chord line Patial to Bhangala Mukerian in the District Hoshiarpur, in the state of Punjab.

**Name of District: Hoshiarpur****Name of Tehsil: Mukerian**

S. No.	Name of Village and HB	Khewat No.	Field Number	Type of land	Nature of Land	Area of Land			in Hectare	Name of Land Owners/Interested Person
						K	M	S		
1	Pote/284	43	620/2	Pvt	Nehri	0	1	0	0.00253	Gagandeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj ½ share,
		43	621/2 min	Pvt	Nehri	0	3	0	0.00759	Navdeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj ½ share,
		43	721/2 min	Pvt	Nehri	0	17	0	0.04299	Navreet Kaur d/o Mast Ram s/o Hans Raj 1/6 share,
		49	722/2 min	Pvt	Nehri	0	14	0	0.03541	Gagandeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj 5935/14238 share,
		50	720/2 min	Pvt	Nehri	0	4	0	0.01012	Navdeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj 2965/7119 share,
										Navreet Kaur d/o Mast Ram s/o Hans Raj 1/6 share,

										Gagandeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj 110/791 share, Navdeep Singh s/o Sant Ram s/o Hans Raj 1975/14238 share, Eman Singh s/o Navdeep Singh s/o Sant Ram 5/18 share, Varis Singh s/o Gagandeep Singh s/o Sant Ram 5/18 share,
				<b>Grand Total</b>		<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0.09864</b>	

[F. No. 190-W/Misc/Land/NDLM-TLR (Hoshiarpur)]

SHAILESH KUMAR MISHRA, Chief Administrative Officer/Const.